न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट कौशाम्बी
परिवाद संख्या– 172/2019
सुनीता देवी बनाम कुडऊ

दिनांकः 18.05.2019

प्रस्तुत परिवाद दिनांक 24.04.2019 को प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त परिवादिनी का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा पी0डब्लू0–1 लालचन्द्र व पी0डब्लू0–2 राम बहादुर का बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया।

परिवादिनी को उसके परिवाद पर सुना गया और पी0डब्लू0– 1 व पी0डब्लू0–2 के बयान का अवलोकन व परिशीलन किया गया।

परिवाद में परिवादिनी सुनीता देवी द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 04.04.2019 को समय लगभग 1:00 बजे दिन में वह अपने खेत में सरकारी समरसेबुल से पानी लगाने गयी थी, वहीं पर कुडऊ लोधी समरसेबुल पर बैठा था जिसने पानी लगाने वाले व्यक्ति से कहा कि उसके गांव की पासिन है, इसका आदमी और ये उसके घर में कभी मजदूरी करने नहीं आते हैं, इसको पानी मत दीजिए। तब उसने कहा कि ये सरकारी समरसेबुल है उसे पानी लगाने से क्यों रोक रहे हो। इसी बात को लेकर कुडऊ लोधी उससे गाली गलौज करने लगे तो जब उसने गाली देने से मना किया तो वह उग्र हो गया और उसे मारने के लिये दौड़ा लिया तब वह अपने घर चली आयी। थोड़ी देर बाद कुडऊ लोधी पुत्र छोटे लाल, शीतल प्रसाद पुत्र रामरूप व अवधेश पुत्र मुखिया अपने–अपने हाथ में लाठी डण्डा लेकर उसके दरवाजे पर चढ़ आये और उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये पासिन मादरचोद बराबरी करती है, आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसे दौड़ा लिये। वह भागकर अपने घर में घुस गयी तो उक्त तीनों लोग उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी करने लगे। कुडऊ लोधी ने उसका ब्लाऊज फाड़ दिया। शीतल प्रसाद ने उसका हाथ पकड़कर जमीन में पटक दिया और उसे बाहर खींचकर लाये तथा लाठी डण्डा से मारा पीटा। उसके चिल्लाने पर शोरगुल सुनकर मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गये तो तीनों लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। उसने उक्त घटना की सूचना उसी दिन थाना करारी में दिया किन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं हुयी और न ही उसकी चोटों का डाक्टरी परीक्षण कराया गया। उसने दिनांक 06.04.2019 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंझनपुर कौशाम्बी में जाकर अपने शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना कराया और एक प्रार्थना पत्र लेकर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के पास गयी परन्तु पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी से मुलाकात नहीं हुयी। दिनांक 16.04.2019 को उसने पुनः एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को जरिये पंजीकृत डाक से प्रस्तुत किया। वहॉ पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया है कि दिनांक 04.04.2019 को दोपहर में लगभग एक बजे वह अपने खेत में पानी लगाने गयी थी। उसने कुडऊ पुत्र अज्ञात से पानी मांगा तब उन्होंने उसे गाली देते हुये एवं दूसरे व्यक्ति जिसका नाम वह नहीं जानती, से कहा कि यह पसगण्डी है, उसके यहॉ मजदूरी करने के लिये बुलाने पर नहीं आती है। अतः इसको पानी नहीं देंगे। तब उसने

कहा कि सरकारी ट्यूबेल है, उसे भी पानी दे दिया कीजिए, उसके दो बिस्वा खेत है, उसका खेत सुखवा दे रहे हैं, तब उन्होंने मॉ की गाली देते हुये कहा कि पानी नहीं देंगे, जहॉ इच्छा हो, वहॉ जाकर शिकायत कर दो। तब वह घर वापस चली आयी। तभी उसी समय तीन लोग शीतल पुत्र अज्ञात, कुडऊ पुत्र अज्ञात एवं अवधेश पुत्र मुखिया उसके घर पर आये एवं उसके घर में घुसकर चले आये एवं कहने लगे कि पसगण्डी को आज मार पीट दो क्योंकि जब देखो तब वह पानी मांगती रहती है। मॉ की गाली देते हुये अन्दर से खींच लाये, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये एवं गालियां देते हुये बाहर लाकर दरवाजे पर पटक दिया। गांव के लोग दौड़े एवं उसके घर परिवार के लोग आये तब पुनः मारने की धमकी देतु हुये चले गये। जाते समय उसे एवं उसके आदमी को भी मारने की धमकी दे रहे थे। उसके सीने पर, पीठ पर एवं सिर में पीछे चोटें आयी थी। उसे गिराकर मुक्का एवं टेहुंने से मार रहे थे। तीनों लोगों ने उसे मारा था। वह थाने गयी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी तथा उसका चिकित्सीय परीक्षण थाने वालों ने नहीं कराया था। तब उसने स्वयं मंझनपुर सरकारी अस्पताल में अपना चिकित्सीय परीक्षण कराया था। घटना के समय उसका पति मजदूरी करने करारी गया था। शाम को उसका पति लौटकर घर आया था। घटना के समय शोर पर आने वालों में बीरेन्द्र पुत्र बिरजू, बहादुर पुत्र गुलजार सिंह, राजेन्द्र पुत्र बिरजू, रामजी पुत्र रामचन्द्र, निवासीगण मुकीमपुर थे। ये उपरोक्त लोग उसके घर परिवार के ही हैं। उसने मंझनपुर में पुलिस कप्तान को भी लिखकर दिया था किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित साक्षी लालचन्द्र ने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 04.04.2019 को वह करारी में मजदूरी में था। वह जब शाम को अपने घर आया था तो घर वाले उससे बताने लगे कि पानी मांगने पर कुडऊ, शीतल प्रसाद एवं अवधेश घर पर आ गये थे एवं उसकी पत्नी ने बताया कि वे लोग उसका बाल पकड़ कर बाहर खींच लाए जिसमें उसका ब्लाऊज फट गया था। उसको गालियां दिये एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली दिये थे। चूँकि वह मौके पर नहीं था इसलिये वह और कुछ नहीं बता सकता।

इसी प्रकार पी0डब्लू0–2 के रूप में परीक्षित साक्षी राम बहादुर ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में यह कहा है कि चार तारीख, चौथा महीना, सन् अज्ञात की घटना है। घटना लगभग एक बजे दिन की है। सुनीता सरकारी ट्यूबेल मुकीमपुर से पानी लगाने गयी। कुडऊ, शीतल और अवधेश भी पानी ट्यूबेल से लगाये थे। सुनीता ने जब पानी लगा लिया तब कुडऊ, शीतल और अवधेश गाली गलौज करने लगे। सुनीता गाली गलौज सुनकर घर चली आयी फिर शीतल, कुडऊ और अवधेश एक बजे दिन में सुनीता को उसके घर से उसका बाल पकड़ कर बाहर खींच लाए। तब उसे जानकारी हुयी और बचाया। तब शीतल, कुडऊ और अवधेश उसे गाली देने लगे। सुनीता को उसने बचाया तब शाम को जब उसका पति घर आया तब सुनीता ने उससे बताया फिर लोग थाने गये, थाने पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। सुनीता ने अपना इलाज कराया, वह उसे नहीं पता कि वह इलाज कहा हुआ। जब सुनीता पानी लगाने गयी थी तब वह अपने घर पर था जो सुनीता के घर से लगभग 50 मीटर दूर है। ट्यूबेल उसके एवं सुनीता के घर से लगभग एक किलोमीटर दूर है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया। मेरे

मत से विपक्षीगण कुड़ऊ लोधी, शीतल प्रसाद व अवधेश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 452, 323, 504, 506 भा0द0सं0 व धारा 3(1) आर, 3 (2) 5 क एस.सी./एस.टी.ऐक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया गठित होना पाया जाता है। विपक्षीगण के विरूद्ध अन्य कोई अपराध प्रथम दृष्टया गठित होना नहीं पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

विपक्षीगण कुड़ऊ लोधी, शीतल प्रसाद व अवधेश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 452, 323, 504, 506 भा0द0सं0 व धारा 3(1) आर, 3 (2) 5 क एस.सी./एस.टी.ऐक्ट के अधीन अपराध कारित करने का संज्ञान लिया जाता है। धारा 204 दं0प्र0सं0 का अनुपालन करने के पश्चात विपक्षीगण को समन जारी हो।

पत्रावली विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु दि0 22.06.2019 को पेश

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी ऐक्ट)
कौशाम्बी